देवराज नागर
आई0पी0एस0

अर्द्धशा.परिपत्र संख्याः डीजी- 20/2013

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001
फोन नं0-0522-2206104, फैक्स नं0 2206120
सीयूजी नं0-9454400101
ई-मेल-dgpolice@sify.com, police@up.nic.in
वेबसाइट-uppolice.up.nic.in

दिनाँकः मई 9, 2013

प्रिय साथियों

यह संज्ञान में आया है कि कतिपय घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अथवा अन्य कारणों से पुलिस विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारी यहाँ तक कि अराजपत्रित अधिकारी भी प्रेस/मीडिया को अपना वक्तव्य दे देते है, जिससे विरोधाभास एवं भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती है। पूर्व में इस प्रकार के निर्देश निर्गत हुए हैं कि प्रेस/मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्य सत्य एवं प्रमाणिक होने चाहिए। अतः इस प्रकार के वक्तव्य केवल सक्षम अधिकारियों के स्तर से ही दिया जाना उचित है। इस सम्बन्ध में मेरे परिपत्र संख्या-55/2008, दिनांक 16.05.2008 द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है, फिर भी अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर से मीडिया के समक्ष वक्तव्य देने के तथ्य प्रकाश में आये हैं ।

2. उपरोक्त विसंगतियाँ उत्पन्न न हों, इसके लिए पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रेस/मीडिया को पुलिस विभाग से सम्बन्धित ब्रीफिंग इस मुख्यालय स्तर पर अधोहस्ताक्षरी, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था अथवा अन्य नामित अधिकारी द्वारा की जायेगी ।

3. जोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में भ्रमण एवं निरीक्षण के दौरान प्रेस/मीडिया को सम्बोधित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर प्रेस/मीडिया की ब्रीफिंग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में जनपद में उपलब्ध वरिष्ठतम् अधिकारी द्वारा की जायेगी ।

4. उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त यदि अन्य किसी भी स्तर के अधिकारी द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्रेस/मीडिया को सम्बोधित किया जाता है तो उसके विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय

(देवराज नागर) 9.5.13

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।